सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —48/2018 अपील (RCMS/2018/00053)
पंजीयन दिनांक —03.04.2018
निर्णय दिनांक —11.12.2018

1. श्री नारायण लाल पिता उदयलाल डांगी, निवासी सेन्ट मेरीज स्कुल के पास, मॉडल फार्म, तितरड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर।
2. श्री जगदीश पिता उदयलाल डांगी, निवासी सेन्ट मेरीज स्कुल के पास, मॉडल फार्म, तितरड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर।
3. मु. रूपा बेवा उदयलाल डांगी, निवासी सेन्ट मेरीज स्कुल के पास, मॉडल फार्म, तितरड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर।
4. श्रीमती चन्द्री (पिता उदयलाल जी) पत्नी कालूलाल डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

— अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री भानुराम पिता उदयराम डांगी, निवासी सेक्टर न. 3, हिरण मगरी, उदयपुर।
2. श्री फतहलाल पिता रूपाजी डांगी, निवासी सेक्टर नम्बर–4, हिरण मगरी, भाग्यश्री गार्डन के पास, उदयपुर।
3. श्री गेहरीलाल पिता रूपाजी डांगी, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, मेनरोड़, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।
4. श्री केसूराम पिता रूपाजी डांगी, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, मेनरोड़, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।
5. श्री लालूराम पिता रूपाजी डांगी, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, मेनरोड़, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।
6. श्रीमती मगनीदेवी पत्नि देवीलाल पानेरी, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, मेनरोड़, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।
7. श्री कन्हैयालाल पिता कालूलाल जैन, निवासी सुन्दरवास, उदयपुर।

8. श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नि चांदमल खमेसरा, निवासी मेहताजी की खिड़की, उदयपुर।

9. श्री भंवरलाल पिता रामलाल खटीक, निवासी सेक्टर–3, भोपामगरी, उदयपुर।

10. श्रीमती ललिता पत्नि गजेन्द्रजी धनावत, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

11. श्री पुष्पराज पिता गुलाबचन्द, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

12. श्री शिवसिंह पिता गजेन्द्र सिंह सारंगदेवोत, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

13. श्री सुरेश कुमार पिता मांगीलाल जैन, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

14. श्री नाथुलाल पिता रतनलाल धींग, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

15. श्री अजीत कुमार पिता शान्तिलाल जैन, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

16. श्रीमती निर्मला पत्नि अजित कुमार जैन, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

17. श्रीमती फुलकुंवर पत्नि भंवरसिंह किकावत, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

18. श्री ललित कुमार पिता हीरालाल बांछडा, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

19. श्री रतनलाल पिता रकबलाल बाठेडा, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

20. श्री कुन्दन सिंह पिता बहादुर सिंह, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

21. श्री नेमीलाल पिता बहादुर सिंह, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

22. श्री सुरजमल पिता हरिलाल सोनी, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

23. श्री चन्द्रप्रकाश पिता जानकीलाल अग्रवाल, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

24. श्रीमती संगीता पत्नि प्रकाशचन्द्र नलवाया, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

25. श्रीमती रेणू पत्नि श्री शिवसिंह सांरगदेवोता, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

26. श्री के.आर.जानी, पिता के.एल.खाई (ईसाई), निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

27. श्री प्रवीण सिंह पिता हिम्मतसिंह दधिवाडिया, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

28. श्रीमती गमेरीसिंह पत्नि श्री गौतमलाल नागदा, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

29. श्री ताराचन्द्र पिता गंगाराम मेघवाल, निवासी थूर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

30. श्री सूरजमल पिता हरिराम सोनी, निवासी एकलिंगनाथ कॉलोनी, सेक्टर नम्बर–3, हिरणमगरी, उदयपुर।

31. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

32. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री खेमराज डांगी – वकील अपीलान्ट
2. श्री एन.एस.चुण्डावत – वकील रेस्पोडेंट संख्या–31
3. श्री योगेन्द्र दशोरा – वकील रेस्पोडेंट संख्या–32

अपील अन्तर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या नियमन / नविप्र / 2000–01 / 315 से 318 दिनांक 22.02.2003

निर्णय

दिनांक 11.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या नियमन/नविप्र/2000–01/315 से 318 दिनांक 22.02.2003के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रश्नगत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1417 से 1425, 1427, 1428, 1429 कुल किता 12 रकबा 3.5700 हेक्टयर भूमि स्थित है। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुरद्वारा आदेश दिनांक 22.02.2003 से भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90–क के तहत उक्त आराजीयात की भूमि पर में समस्त व्यक्तियों के अधिकार एवं हित पर्यवसित किये जाकर भूमि राज्य हित में पुनग्रहित की। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–31 व 32 उपस्थित। दीगर रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 04.12.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट के अपनी बहस में बताया कि उक्त आराजीयात के सहखातेदार उदा पिता रूपाजी डांगी थे, जिनकी मृत्यु हो गई, जिनके वारिसान अपीलान्टस् व रेस्पोडेंट संख्या–1 है तथा उदा के सहखातेदारी की उक्त आराजी अपीलान्टस् व रेस्पोडेंट संख्या–1 में निहित हुई है। नगर विकास प्रन्यास द्वारा उक्त आराजीयात की धारा 90–क की कार्यवाही की गई जबकि नगर विकास प्रन्यास द्वारा अपीलान्टस् जो कि विवादित भूमि के सहखातेदार है, को नोटिस नहीं दिया गया है, न हमारे पिता उदाजी को इस सम्बन्ध में कोई नोटिस दिया है, न उक्त आराजीयात का सहखातेदारान के मध्य अभी तक बंटवारा हुआ है। धारा 90–क की कार्यवाही करने से पूर्व अपीलान्टस् एवं हमारे पिता उदा जी को विधिवत नोटिस देना चाहिए व उनको सुनकर धारा 90–क की कार्यवाही करना चाहिए लेकिन नगर विकास प्रन्यास द्वारा हमे बिना सूचना दिये व बिना सुने कथित आदेश पारित किया, जो बिना अधिकार के है। विवादित भूमि के सहखातेदारान के मध्य अभी तक कोई बटवारा नहीं हुआ है, न बटवारें के किसी दस्तावेज पर अपीलान्टस् व पिता उदा जी के हस्ताक्षर है।

अपीलान्टस् ने अपने हिस्से की भूमि को सरेन्डर नहीं किया, न हमारे पिता द्वारा ही सरेंडर की गई है। नगर विकास प्रन्यास द्वारा कथित प्रकरण में प्रस्तुत की गई जमाबन्दी को भी ध्यान में नहीं रखा है यदि ध्यान में रखते तो जमाबन्दी में विवादग्रस्त भूमि के अपीलान्टस् व उसके पिता उदा जी सहखातेदार अंकित होने से उनको सूचना अवश्य देते लेकिन इसे ध्यान में नहीं रख बिना सूचना के धारा 90–क की कार्यवाही की है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्टस् को उनके हिस्से की भूमि के पट्टे दिये जाने चाहिए जो भी नहीं दिये गये तथा उक्त विवादित आराजीयात के पट्टे भी रेस्पोडेंटस् के नाम जारी कर दिये गये है व इस तरह नगर विकास प्रन्यास ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर अपीलान्टस् के हिस्से की भूमि को भी बिना अधिकार के रेस्पोडेंटस् से मिलीभगत कर धारा 90–क की कार्यवाही कर अपने व्यक्तियों के नाम पट्टे जारी कर दिये है व हम अपीलान्टस् के नाम अपने हिस्से की भूमि के पट्टे जारी नहीं किए है व नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को अपीलान्टस् के हिस्से की भूमि के पट्टे उनकी बिना इजाजत के किसी को जारी नहीं किए जा सकते है। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के कथित आदेश को निरस्त कराजा जाना आवश्यक है। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्टस् द्वारा नगर विकास प्रन्यास के आदेश दिनांक 22.02.2003 को निरस्त फरमाये जाने तथा विकल्प में अपीलान्टस् के हिस्से की भूमि के पट्टे उनके नाम जारी कराये जाने के आदेश बक्षाये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा 90–क की कार्यवाही के दौरान समस्त नियमों एवं विधिक प्रक्रियाओं को अक्षरशः पालन किया गया, उसमें कोई चुक भी नहीं हुई है। धारा 90–क की कार्यवाही से पूर्व राजस्थान पत्रिका के 29.10.2000 के अंक में प्रकाशन कर आपत्तियां प्राप्त की गई और प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त आदेश पारित किया गया जिसमें तनिक भी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुरपारित आदेश दिनांक 22.02.2003 बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–32 द्वारा वकील रेस्पोडेंट संख्या–31 के कथनों का समर्थन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर पारित आदेश दिनांक 22. 02.2003 बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन किया कि उक्त आराजीयात के सहखातेदार उदा की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी अपीलान्टस् व रेस्पोडेंट संख्या–1 में निहित हुई है। नगर विकास प्रन्यास द्वारा धारा–90–क की कार्यवाही से पूर्व अपीलान्टस् को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, न उनके पिता उदाजी को इस सम्बन्ध में कोई नोटिस दिया है। विवादित भूमि के सहखातेदारान के मध्य अभी तक कोई बटवारा नहीं हुआ है, न बटवारें के किसी दस्तावेज पर अपीलान्टस् व पिता उदा जी के हस्ताक्षर है। अपीलान्टस् ने अपने हिस्से की भूमि को सरेन्डर नहीं किया, न उनके पिता द्वारा ही सरेंडर की गई है। नगर विकास प्रन्यास द्वारा कथित प्रकरण में प्रस्तुत की गई जमाबन्दी का परिक्षण न कर निर्णय पारित किया गया। प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि आदेश दिनांक 22.02.2003 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। अपीलान्टस् को सुनवाई एवं पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना प्रतीत नहीं होता है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनंवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का आदेश दिनांक 22.02.2003 निरस्त किया जाता है। प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर एवं विभिन्न दस्तावेजों के मद्देनजर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 11.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर